भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3998

(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>एसएफआईओ</u>

3998. श्री जे. एम. आरुन रशीद :

श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को कारपोरेट शासन के उल्लंघन और एस कुमार नेशनवाइड लिमिटेड (एसकेएनएल) द्वारा अविलयन आदि सहित असंख्य कारोबार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो एसकेएनएल के विरूद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एसएफआईओ मैसर्स एसकेएनएल के विरूद्ध कारपोरेट संबंधी रिपोर्टों में भी गलत तथ्य प्रस्तुत करने और कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (घ) : मंत्रालय ने कंपनी रजिस्ट्रार, मुम्बई को एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (एसकेएनएल) के मामले में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम

से प्राप्त शिकायत की जांच करने का निदेश दिया। कंपनी रजिस्ट्रार की रिपोर्ट से पता चला है कि आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं।

*****